

No. XI/44/2015-16/भण्डार (कर)
वन अनुसंधान संस्थान
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद
डाक घर न्यू फारेस्ट देहरादून

दिनांक 22-01-2016

सेवा में,

1. सभी प्रभाग प्रमुख
2. समूह समन्वयक (अनुसंधान)
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, न्यू फारेस्ट चिकित्सालय
4. मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष
5. कुलसचिव, डीम्ड यूनिवर्सिटी
6. प्रचार एवं संपर्क अधिकारी
7. कय अधिकारी


विषय:- फार्म -16 (रोड परमिट) के सम्बन्ध में

वन अनुसंधान संस्थान के विभिन्न प्रभागों को उनके द्वारा फार्म-16 (रोड परमिट) माँगे जाने पर वाणिज्य कर से प्राप्त कर भंडार अनुभाग द्वारा जारी किये जाते थे. परन्तु अब उतराखंड वाणिज्य कर के आदेशानुसार 01-02-2016 से फार्म-16 (रोड परमिट) ऑनलाइन कर दिया गया है मौखिक रूप से भी वन अनुसंधान संस्थान के वाणिज्य कर अधिवक्ता श्री आर० के० सिंघल के द्वारा भी यही प्रक्रिया को अपनाने के लिये निर्देशित किया गया है।

अतः संस्थान के सभी प्रभागों को सूचित किया जाता है कि संस्थान के जिन प्रभागों को फार्म-16 (रोड परमिट) की आवश्यकता हो वह प्रभाग प्रार्थना पत्र और सप्लाई आर्डर पत्र के साथ निम्नलिखित फॉर्मेट में दर्शायी गयी जानकारी उचित रूप से भरकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने का श्रम करे. ताकि प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर माँगा गया फार्म-16 (रोड परमिट) वाणिज्य कर के वेब साईड से प्रारंभ में अधिवक्ता द्वारा विस्तृत जानकारी भरकर और डाउन लोड करके भंडार अनुभाग के द्वारा उक्त अनुभाग को उपलब्ध कराया जा सके. सभी प्रभागोंसे यह भी अनुरोध है की फॉर्म-16 प्राप्त होने के बाद फॉर्म को फर्म को भेजने के बाद ट्रिप शीट के साथ एवं सामान प्राप्त होते ही 48 घंटे के अन्दर सम्बंधित फॉर्म-16 सप्लाई आर्डर, ट्रिप शीट, एवं बिल की फोटो कापी की प्रतिलिपि लगा कर वाणिज्य कर विभाग में जमा करने हुते नये आदेश प्राप्त होने तक भंडार अनुभाग को प्रेषित करने का श्रम करे ताकि निर्धारित समय में प्राप्त फॉर्म-16 वाणिज्य कर कार्यालय में जमा कराया जा सके, साथ ही संस्थान के सभी प्रभागो से अनुरोध है की इस विषय में अपने अधीनस्थ कर्मचारी को निर्देशित करने की कृपा करे की प्राप्त फार्म-16 पूर्ण रूप से तथा सही जानकारी के साथ भरा हो ताकि वाणिज्य कर विभाग में फॉर्म जमा करते समय कोई आपत्ति वाणिज्य कर द्वारा न लगाई जा सके यदि किसी प्रकार की त्रुटी के कारण वाणिज्य कर द्वारा फॉर्म-16 वापस किया जाता है तो इसके लिये सम्बन्धित प्रभाग उत्तरदायी होगा. (ट्रिप शीट का फॉर्म-16 के साथ होना अति आवश्यक है)

FORMAT

Name & address of dealer from whom goods are purchased/received	Bill/Cash memo/ Challan No.& date	Description of goods	Quantity/ weight	Value of goods	Number of form C/D/F if issued	Tin No.
---	-----------------------------------	----------------------	------------------	----------------	--------------------------------	---------


कुलसचिव
वन अनुसंधान संस्थान

22/1/16